

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या का अभियोग में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹13,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 1361/2013 धारा–304,504 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **ईसी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **मनीष कुमार पुत्र श्री जड़ीबूटी उर्फ सन्तोष कुमार सोनकर** नि0 कपरिया मोहाल चांदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को **07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹13,000** के अर्थदण्ड से दिण्डित किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी श्री जगदीश अनुरागी



विवेचक-उ0नि0 श्री बलवीर सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 जगत सिंह